



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,  
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com


क्रमांक:- F 50 (1) NHM/QA /2018/ 489

दिनांक: 29/5/18

**कार्यालय आदेश**

भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार जिला अस्पताल राजसमंद का गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अन्तर्गत NQAS re-certification हेतु राज्य स्तर से reassessment करवाया जाना है। अतः निम्नानुसार सूची में अंकित अधिकारी दिनांक 31 मई 2018 से 02 जून 2018 तक अपनी उपस्थिति जिला अस्पताल राजसमंद में देना सुनिश्चित करें। Lodging and boarding Bills, Honorarium का भुगतान एवं वाहन की व्यवस्था बजट मद 13.1.2 (Cost of re-certification) से बुक किया जाना सुनिश्चित करें।


S. No.	Officials	Designation
1.	Dr. Rambabu Jaiswal	S.N.O (QA & Kayakalp)
2.	Dr. Gopal Jangid	RCHO-Tonk
3.	Dr. Pradeep Sinsinwar	Consultant - FRU

  
शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम  
दिनांक 29/5/18

क्रमांक:- F 50 (1) NHM/QA /2018/ 489

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, एनएचएम।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक पीएच/आरसीएच।
4. निदेशक वित्त, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक एनएचएम।
6. डॉ रामबाबू जायसवाल, राज्य नोडल अधिकारी (क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प), एन.एच.एम।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद।
10. पीएमओ, राजसमंद को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों हेतु तीन दिवसीय आवास की व्यवस्था सर्किट हाऊस/आरटीडीसी होटल/समकक्ष होटल में करवाना सुनिश्चित करें।
11. अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद।
12. आरसीएचओ, राजसमंद।
13. प्रभारी, Nipi को भेजकर लेख है कि श्रीमान प्रदीप चौधरी (Spm-Nipi) को उक्त तिथियों पर राजसमंद जिला अस्पताल के reassessment में सहयोग करने के लिए भिजवाना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी Unicef को भेजकर लेख है कि डॉ. कपिल जोशी (CO-Unicef) को उक्त तिथियों पर राजसमंद जिला अस्पताल के reassessment में सहयोग करने के लिए भिजवाना सुनिश्चित करें।
15. स्टोर कीपर को भेजकर लेख है कि उक्त तिथियों पर अधिकारियों के लिये वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। (बजट मद 13.1.2 Cost of re certification (DH) से बुक करें।
16. सलाहकार - आईटी सम्बन्धित को ईमेल हेतु।

  
राज्य नोडल अधिकारी  
गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम